Ce|3|14

100 प्रदीप अग्रवाल

8|1097

26 NOV 2021

सुधारपत्र कोड

सुधारकर्ताः--श्री दिनकर प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 51 साल पिता स्व.श्री बृजेन्दनारायण ब्रा. निवासी ग्राम पो. कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.::

सुधारगृहीताः-श्री अक्षयप्रताप सिंह उम्र 44 साल पिता स्व. श्री शिवप्रताप सिंह निवासी ग्रा. पो. जामो सुल्तानपुर उ.प्र. बैक आफ बडौदा का खाता न. 22210100010703

सुधारपत्र निम्न लिखित है

जो कि सुधारकर्ता के स्व.पिता बृजेन्द्र नारायणजी ने सुधारगृहीता के स्व. पिता शिवप्रताप सिंह अध्यक्ष उमारमण महाविघालय कोठी जिला सतना के हक **में दिनॉक** 07-02-2008 पु.क्र.अ 1 ग्रन्थ क्र.6020 पृष्ठ क्र.176 से 179 तक के पंजीयन क्र. 2024के द्वारा आराजियात किता चार कुल रकवा 5-00 एकड याने 2.023 हे.मौजा शिवसागर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र का बिक्रयपत्र मालयती 11,50,000/-रूपया का पंजीयन कराया गया था ।

चूंकि बिक्रयपत्र के दस्तावेज में टंकन की गलती की वजह से उमारमण महाविघालय कोठी जिला सतना लिख गया था,जबकि उसका नाम स्व. उमारमण प्रताप बहादुर सिंह महाविघालय कोठी जिला सतना म.प्र. होना चाहिये **और वही सही किया गया है।** जिसका सुधार किया जाना उचित एवं आवश्यक है।

अतः इस सुधार पत्र के द्वारा बिक्रयपत्र **दिनॉक 07-02-2008** पु.क्र.अ 1 ग्रन्थ क्र. 6020 पृष्ठ क्र.176 से 179 तक के पंजीयन क्र.2024 के द्वारा को हुये बिक्रयपत्र में जहा पर उमारमण महाविघालय कोठी जिला सतना लिख गया हैं उसकी जगह पर सही नाम स्व. उमारमण प्रताप बहादुर सिंह महाविघालय कोठी जिला सतना म.प्र. लिखा माना जावेगा और इसके अलावा दस्तावेज में अन्य कोई भी सुधार नही किया जा रहा है (2)

दिनकर प्रसाद

अ

इस सुधारपत्र के द्वारा पूर्व के बिक्रयपत्र के स्वरूप,मालयती, विवरण आदि में कोई भी तब्दीली आदि नही हो रही है

उक्त आराजी की संरचना स्वरूप एवं चौहदी की स्थिति यथावत है उसमें कोई भी परिवर्तन नही हो रहा हैं

सुधारकर्ता

गवाह न.1

गवाह न.2

दस्तावेज मय हस्ताक्षर सहित कुल दो पेंज में टाइप है।

अस्तु आज दिन अपने सही होस हवास से बिना किसी डर या प्रलोभन के यह सुधारपत्र लिखाकर पंजीयन/निष्पादन करा दिया की सनद रहे वक्त पर काम आवे।

आज दिनांक 06-03-2014 दिन गुरूवार ले0 श्यामलाल अग्रवाल सतना

हस्ताक्षर सुधारकर्ता

हस्ताक्षरसुधारगृहीता

हस्ताक्षर गवाहन

1-श्री बुधेन्द सिंह तनय श्री रामभान सिंह
निवासी ग्राम सांनौर पो. कोठी जिलार सतना
ड्रायविंग ला.न.MP19R-2009-0052367

2-श्री पारसनाथ शुक्ला
तनय श्री एस.एस. शुक्ला
निवासी ग्राम पो. कोठी जिला सतना
ड्रायविंग ला.न.MP19N-2008-0087096

सत्य प्रतिलिपि
16 MAR 2014
दिनांक..........
SUB REGISTRAR SATNA (M.P.)

26 NOV 2021

1099

108300

विक्रीत भूखण्ड कोड न. 220

मौजा पट०ह० तहसील जिला प्रलेख का प्रकार एवं मूल्य	मुद्रांक शुल्क
	स्टाम डि. 92168-00
शिवसागर न.63/17 रघु. सतना बयनामा 11,50,000/-रू.	ब्लाक डि0 11521-00
	उपकर डि0 4608-40
सर्किल कोठी, ब्लाक सोहावल पु.क्र.एफ. 76292	अति डि0 02-6
स्टाम्प डि. हेतु बाजारमूल्य 11,52,100/ रूपया मात्र	योग-108300-00

विक्रेताः-श्री बृजेन्द्रनारायण उम्र 75 साल तनय **श्री बल्देवप्रसाद बा.** निवासी ग्राम कोठी पो. कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.राष्ट्रीयता भारतीय::::: डाकघर कोठी द्वारा बचत खाता पासबुक खाता न.315974 की फोटोकापी प्रस्तुत हैं

क्रेताः-उमारमण महाविद्यालय कोठी जिला सतना द्वारा अध्यक्ष श्री शिवप्रताप सिंह उम्र 70 साल तनय श्री **उमारमणप्रताप बहादुर सिंह निवासी** ग्राम जामोकोट पो. जामो जनपद सुल्तानपुर जिला सुल्तानपुर उ.प्र. राष्ट्रीयता भारतीय::::: की ओर से शिवप्रताप सिंह का आयकर विभाग का परिचयपत्र क्र.AWSPS 3738D की फोटोकापी प्रस्तुत हैं

{2}

2 6 NOV 2021

{2}

प्रतिफल की रकम:-प्रतिफल की सम्पूर्ण रकम **11,50,000/-ग्यारह लाख पचास हजार रूपया** विक्रेता ने क्रेता(संस्था) से निष्पादन/पंजीयन के पूर्व ही वसूल चुकता प्राप्त कर लिया है अब कुछ भी पाना बाकी नही है न ही आगे ही कोई मांग या उज्र आदि ही होगा।

इस दस्तेवा से प्रभावित अचल सम्पति का विवरण

बिक्रीत भूमि ग्राम **शिवसागर हल्का न.63/17** राजस्व निरीक्षक मण्डल कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. में स्थित होकर इससे संम्बधित भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग एक क्र. एफ.76292 **है।**

भूमि का विस्तृत ब्यौरा एवं चर्तुसीमा निम्न अनुसार हैं

आ. ख. न.	कुल रकवा	बिक्रीत रकवा
आ.न. 273	**रकवा 1-056 हे.का जुज बिक्री रकवा**	**2-16 एकड**
आ.न. 281	**रकवा 1-059 हे.का जुज बिक्री रकवा**	**1-89 एकड**
आ.न. 283	**रकवा 1-300 हे.का जुज बिक्री रकवा**	**0-95 एकड**

किता तीन कुल बिक्री रकवा 5-00 एकड याने 2-023हे. मय एक पेड आम लगान रेट बन्दोबस्त वाका मौजा **शिवसागर** तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र.

आराजी का क्षेत्रफलः-कुल बिक्री रकवा 5-00 एकड याने 2-023 हे.

भूमि जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के तहत आती है।उक्त आराजी मुख्य सडक सतना कोठी चित्रकूट मुख्य रोड पर स्थित हैं

विशेषः-1:-इस दस्तावेज के द्वारा उक्त सम्पति के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की सम्पति हस्तांतरण से प्रभावित नही होगी।

2:-प्रभावित आराजी सतना कोठी/चित्रकूट रोड पर स्थित है।

3:-उक्त सम्पति आज के पूर्व अन्य कंही बिक्री,गहन आदि मे नही है ।

4:-प्रभावित आराजी कमाण्ड ऐरिया के अन्तर्गत आती हैं

5:-यहकि प्रभावित आराजी किसी भी न्ययालय द्वारा प्रतिबंधित नही है। {3}

हरेन्द्र नारायण शर्मा

शिवम तिवारी

{3}

चतुर्सीमा

उत्तरः-सरकारी नहर

दक्षिणः-बिक्रेता की आराजी न. 283 का अंश जो आज ही उमारमणजन कल्याण समिति को बिक्री किया है एवं बिक्रेता की अन्य आराजी

पूरबः-मुख्य सड़क सतना कोठी/चित्रकूट रोड **पश्चिमः**-नदी

उक्त बिक्रीत भूमि सम्पत्ति का बिक्रेता ही पूर्णरूप से मालिक एवं स्वामी है उक्त आराजियात का खाता बिक्रेता के नामपर भूमिस्वामी स्वत्व पर नितलवे अंकित है जिसका वही मालिक स्वामी व काबिज चला आ रहा है जो अन्य किसी का कोई भी हक या वास्ता सरोकार नही है अंतॅरित की जा रही उक्त सम्पत्ति अन्य कॅही भी रहन,बेंची,अधिगृहन,दान या जमानत आदि में नहीं है हर तरह से पाक व साफ है।

बिक्रीत भूमि एक फसली व नहर से सिंचित है बिक्री से प्रभावित रकबा में कोई भी कुंआ या मकान आदि नही है।

भूमि के बिक्रय से म.प्र. कृषि भूमि सीमा अधिनियम और म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 165 का उल्लघंन नही होता है बिक्रय की जा रही भूमि किसी भी देवस्थान,भूदान या शासकीय पटटे की नही है।

उक्त सम्पति भूमि को बिक्रेता अपनी निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिये रूपयो की विशेष आवश्यकता आ जाने की वजह से बहक उक्त क्रेता **उमारमण महाविधालय** को सदैव के लिये पूर्णरूप से बिक्रय कर दिया गया है अब इस भूमि एवं उसपर स्थित चल एवं अचल सम्पति पर बिक्रेता ने अपना स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य हमेशा के लिये समाप्त कर लिया है तथा प्रत्यक्ष में मौके पर क्रेता उक्त संस्था का स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य करा दिया है तथा वें सभी सुखाधिकार जो आज दिनॉक तक बिक्रेता को प्राप्त थे अब भविष्य में उक्त क्रेता को प्राप्त होगे वह सम्पति का जैसा चाहे वैसा उपयोग,उपभोग हस्तातॅरण परिवर्तन कराने हेतु पूर्णरूप से अधिकृत होगें। भविष्य मे हम या हमारे वारिस उत्तराधिकारी समानुदेसी या प्रतिनिधी किसी भी प्रकार का दावा दखल या झगडा करे तो वह शून्यवत माना जावेगा उक्त भूमि या इसका कोई अंश यदि {4}

धर्मेन्द्र नारायण शर्मा

Vijay Awasthi

{4}

आज दिनॉक के पूर्व में स्वत्व,स्वामित्व या अधिपत्य की त्रूटि के कारण या किसी भी दावेदारी के कारण यदि क्रेता के कब्जा,दखल व हक मालकाना से निकल जाय तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी मुझ बिक्रेता की होगी, तथा क्रेता(संस्था) को अधिकार होगा की वह मेरी अन्य चल एवं अचल सम्पति से हरजाने की राशि के रूप मे प्राप्त कर लेवे।

नोटः-यह दस्तावेज चार पेज में टाइप है जो मुख्यतः कंही कटा आदि नही है।

अस्तु आज दिनांक 07-02-2007 दिन गुरुवार को अपनी स्वेच्छा से सही होस हवास मे बिना किसी भय,दबाव या लालच के यह बिक्रयपत्र लिखाकर निष्पादित करा दिया की सनद रहें वक्त पर काम आवे।

लेखक श्यामलाल अग्रवाल सतना

हस्ताक्षर बिक्रेता

ब्रजेन्द्रनारायण प्रजापति

{बृजेन्द्रनारायण}

हस्ताक्षर क्रेता

शिवप्रताप सिंह

{शिवप्रताप सिंह} अध्यक्ष उमा रमण महाविद्यालय कोठी की ओर से

हस्ताक्षर गवाहन

लवकेश कुमार सिंह उ/ श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह
ग्रा० व पो० - अदनपुर
जनपद - सुल्तानपुर

इस विलेख के विक्रेता, क्रेता/सहमतिदाता को, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ एवं उनके इस विलेख में चस्पा छायाचित्रों को प्रमाणित करता हूँ।

मनोज सिंह

मनोज सिंह पिता श्री रामलला सिंह
ग्रा० पो० - चोरहटा (कोठी)
तहसील - रघुराज नगर
जिला - सतना (म० प्र०)

इस विलेख के विक्रेता, क्रेता/सहमतिदाता को, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ एवं उनके इस विलेख में चस्पा छायाचित्रों को प्रमाणित करता हूँ।

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक

दिनांक 27 FEB 2008